न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/168 /17	12.09.2017	29.06.2018

उनवान

1. श्यामलाल पुत्र फूलचन्द
2. रामलाल पुत्र श्री फूलचन्द
3. सन्तरा पुत्री श्री फूलचन्द
4. सुमित्रा पुत्री श्री फूलचन्द
5. सोना बाई पुत्री श्री फूलचन्द, जातियान चमार, निवासियान ग्राम मांदला खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हल 38 रकबा 0.10, 43 रकबा 0.05, 48 रकबा 0.42, 171 रकबा 0.40, व 704 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम मांदला खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी के बन्दोबस्त सम्वत 2058 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 26 रकबा 8 बिस्वा, 31 रकबा 4 बिस्वा, 42 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 129 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 529 रकबा 10 बिस्वा थे तथा बन्दोबस्त सम्वत 202 में इनके साबिक खसरा नम्बर 24 मिन रकबा 8 बिस्वा, 28 रकबा 4 बिस्वा, 38 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 40 रकबा 5 बिस्वा, 73 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 434 रकबा 10 बिस्वा थे। ताईद में हर दो नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। विवादित आराजी वादीगण के पिता स्व0 श्री फूलचन्द पुत्र साधो उर्फ लोधा जाति चमार निवासी ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ जिला अलवर के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। सम्वत 2015 की जमाबन्दी में साबिक खसरा नम्बर 28, 38, 40, 73 स्व0 वादीगण के दादा लोधा को खातेदार भी दर्ज किया हुआ है। हाल राजस्व रिकार्ड संलग्न जमाबन्दी में विवादित आराजी वादीगण के पिता स्व0 फूलचन्द के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। वादीगण के पिता श्री फूलचन्द का स्वर्गवास दिनांक 19.10.1985 को हो गया था, जिनके वारिस वादी सं0 1 ला0 5 है तथा अन्य कोई वारिस नही है। इसलिए वादीगण को विवादित आराजी में बराबर

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

बराबर से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। वादीगण स्व0 फूलचन्द के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर मुतश्र्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और विवादित आराजी पर किसी दीगर शख्स का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी तरह का नही है न कभी रहा है। वादीगण का मौके पर कब्जा मौजूद है। वादीगण का विवादित आराजी पर अपने पिता के जीवनकाल से करीब 50–60 सालो से बदस्तूर बिना रोकटोक के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस कारण विवादित आराजी में वादीगण को कानूनी तौर पर हकूक खातदेारी हांसिल हो चुके है। अतः विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावें।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री घोषणात्मक सादिर की जाकर वादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर हल 38 रकबा 0.10, 43 रकबा 0.05, 48 रकबा 0.42, 171 रकबा 0.40, व 704 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम मांदला खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर का बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकर घोषित किया जावे और कागजातमाल में अमल दरामद कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवही की गई।

वादीगण के दावे की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 व 2020, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम मांदला खुर्द सम्वत 2015–2018, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम मांदला खुर्द सम्वत 2010 की प्रमाणित प्रतियां पेश की तथा मृत्यु प्रमाण पत्र फूलचन्द का दिनांक 19.10.1985 की छायाप्रति पेश की है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। विवादित आराजी के बन्दोबस्त सम्वत 2058 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 26 रकबा 8 बिस्वा, 31 रकबा 4 बिस्वा, 42 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 129 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 529 रकबा 10 बिस्वा थे तथा बन्दोबस्त सम्वत 202 में इनके साबिक खसरा नम्बर 24 मिन रकबा 8 बिस्वा, 28 रकबा 4 बिस्वा, 38 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 40 रकबा 5 बिस्वा, 73 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 434 रकबा 10 बिस्वा थे। जो नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 व 2020 से स्पष्ट है। विवादित आराजी वादीगण के पिता स्व0 श्री फूलचन्द पुत्र साधो उर्फ लोधा जाति चमार निवासी

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

ग्राम मांदला खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। सम्वत 2015 की जमाबन्दी में साबिक खसरा नम्बर 28, 38, 40, 73 स्व0 वादीगण के दादा लोधा को खातेदार भी दर्ज किया हुआ है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विवादित आराजी वादीगण के पिता स्व0 फूलचन्द के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता श्री फूलचन्द का स्वर्गवास दिनांक 19.10.1985 को हो गया था, जिनके वारिस वादी सं0 1 ला0 5 है तथा अन्य कोई वारिस नही है। इसलिए वादीगण को विवादित आराजी में बराबर –बराबर से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। वादीगण स्व0 फूलचन्द के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर मुतश्र्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और विवादित आराजी पर किसी दीगर शख्स का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी तरह का नही है न कभी रहा है। वादीगण का मौके पर कब्जा मौजूद है। वादीगण का विवादित आराजी पर अपने पिता के जीवनकाल से करीब 50–60 सालो से बदस्तूर बिना रोकटोक के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस कारण विवादित आराजी में वादीगण को कानूनी तौर पर हकूक खातदेारी हांसिल हो चुके है। इसलिए वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 38 रकबा 0.10, 43 रकबा 0.05, 48 रकबा 0.42, 171 रकबा 0.40, व 704 रकबा 0.13 हैक्ट0 किता 5 रकबा 1.10 हैक्ट0 वाके ग्राम मांदला खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर का बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकर घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि कागजातमाल में जहां –जहां वादीगण के पिता फूलचन्द पुत्र साधो का गैरखातेदार के रूप में इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करें। **इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़
रामगढ़ (अलवर)

ग्राम मांदला खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। सम्वत 2015 की जमाबन्दी में साबिक खसरा नम्बर 28, 38, 40, 73 स्व0 वादीगण के दादा लोधा को खातेदार भी दर्ज किया हुआ है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विवादित आराज़ी वादीगण के पिता स्व0 फूलचन्द के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता श्री फूलचन्द का स्वर्गवास दिनांक 19.10.1985 को हो गया था, जिनके वारिस वादी सं0 1 ला0 5 है तथा अन्य कोई वारिस नही है। इसलिए वादीगण को विवादित आराजी में बराबर –बराबर से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। वादीगण स्व0 फूलचन्द के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर मुतश्र्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और विवादित आराजी पर किसी दीगर शख्स का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी तरह का नही है न कभी रहा है। वादीगण का मौके पर कब्जा मौजूद है। वादीगण का विवादित आराजी पर अपने पिता के जीवनकाल से करीब 50–60 सालो से बदस्तूर बिना रोकटोक के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस कारण विवादित आराजी में वादीगण को कानूनी तौर पर हकूक खातदोरी हांसिल हो चुके है। इसलिए वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 38 रकबा 0.10, 43 रकबा 0.05, 48 रकबा 0.42, 171 रकबा 0.40, व 704 रकबा 0.13 हैक्ट0 किता 5 रकबा 1.10 हैक्ट0 वाके ग्राम मांदला खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर का बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकर घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि कागजातमाल में जहां –जहां वादीगण के पिता फूलचन्द पुत्र साधो का गैरखातेदार के रूप में इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करें। **इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़
रामगढ़ (अलवर)